



POLICE COMMISSIONERATE



GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/ प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 28.11.2022

1-थाना फेस 2 नोएडा पुलिस द्वारा सवारी बनकर गाडियो में बैठकर व चालक की आंखों में मिर्च डालकर गाडी छीनने वाले 02 लुटेरे गिरफ्तार, कब्जे से लूटी गयी एक कार टाटा हैरियर , 02 अवैध देशी तंमचे 315 बोर व 04 जिन्दा कारतूस बरामद ।

थाना फेस 2 सेन्ट्रल नोएडा पुलिस द्वारा दिनांक 27.11.22 को सवारी बनकर गाडियो में बैठकर व चालक की आंखों में लाल मिर्च डालकर चार पहिया गाडी छीनने वाले दो शातिर लुटेरे क्रमशः- 1. रोशन मिश्रा पुत्र मंतोष मिश्रा निवासी आर.सी 16 वंदना इन्कलेव प्राचीन मन्दिर के पास खोडा थाना खोडा जिला गाजियाबाद मूल पता ग्राम अलीपुर थाना अजीतमल जिला औरैया 2. अनिल कुमार पुत्र देवेन्द्र सिंह निवासी सुंदरपुरी थाना विजयनगर जिला गाजियाबाद मूल पता मौहल्ला बोरान , कस्बा मुरसान थाना मुरसान जिला हाथरस को कुलेसरा बॉर्डर के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से दिनांक 23.09.2022 को लूटी गयी एक गाडी टाटा हैरियर (मु0अ0सं0 497/22 धारा 392/34/411 भादवि उपरोक्त से सम्बन्धित), 02 अवैध देशी तंमचा.0315 बोर व 04 अवैध जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुए है ।

घटना का विवरण-

दिल्ली के थाना साउथ कैम्पस द्वारा हैरियर कार लूट की घटना को दर्ज कर जीरो एफआईआर के जरिए थाना सेक्टर 20 नोएडा को ट्रांसफर किया गया था, जिसके उपरान्त थाना सेक्टर 20 नोएडा पुलिस द्वारा जीरो एफआईआर पर मु0अ0सं0 497/22 धारा 392/34/411 भादवि पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी थी।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. रोशन मिश्रा पुत्र मंतोष मिश्रा निवासी आर.सी 16 वंदना इन्कलेव प्राचीन मन्दिर के पास खोडा थाना खोडा जिला गाजियाबाद मूल पता ग्राम अलीपुर थाना अजीतमल जिला औरैया
2. अनिल कुमार पुत्र देवेन्द्र सिंह निवासी सुंदरपुरी थाना विजयनगर जिला गाजियाबाद मूल पता मौहल्ला बोरान , कस्बा मुरसान थाना मुरसान जिला हाथरस

पंजीकृत अभियोग व आपराधिक इतिहास का विवरण-

अभियुक्त रोशन मिश्रा

- 1.मु0अ0सं0 512/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना फेस 2 नोएडा गौतमबुद्धनगर
- 2.मु0अ0सं0 497/22 धारा 392/34/411 भादवि थाना सेक्टर 20 नोएडा

- 3.मु0अ0स0 23/19 धारा 392/411 भादवि थाना सैक्टर 39 नोएडा गौतमबुद्धनगर
- 4.मु0अ0स0 87/19 धारा 392/411 भादवि थाना सैक्टर 39 नोएडा गौतमबुद्धनगर
- 5.मु0अ0स0 90/19 धारा 392/411 भादवि थाना सैक्टर 39 नोएडा गौतमबुद्धनगर
- 6.मु0अ0स0 99/19 धारा 411/414 भादवि थाना सैक्टर 39 नोएडा गौतमबुद्धनगर
- 7.मु0अ0स0 588/19 धारा 392/411 भादवि थाना सैक्टर 39 नोएडा गौतमबुद्धनगर
- 8.मु0अ0स0 597/19 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना सैक्टर 39 नोएडा गौतमबुद्धनगर
- 9.मु0अ0स0 665/19 धारा 394/411 भादवि थाना सैक्टर 39 नोएडा गौतमबुद्धनगर
- 10.मु0अ0स0 703/19 धारा 411/413/414/482 भादवि थाना सैक्टर 39 नोएडा गौतमबुद्धनगर
- 11.मु0अ0स0 706/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सैक्टर 39 नोएडा गौतमबुद्धनगर

अभियुक्त अनिल कुमार

- 1.मु0अ0स0 513/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना फेस 2 नोएडा गौतमबुद्धनगर
- 2.मु0अ0सं0 497/22 धारा 392/34/411 भादवि थाना सैक्टर 20 नोएडा
- 3.मु0अ0स0 778/19 धारा 392/411 भादवि थाना बिसरख सै0 नोएडा गौतमबुद्धनगर
- 4.मु0अ0स0 796/19 धारा 392 भादवि थाना बिसरख सै0 नोएडा गौतमबुद्धनगर
- 5.मु0अ0स0 830/19 धारा 394/506/411 भादवि थाना बिसरख सै0 नोएडा गौतमबुद्धनगर
- 6.मु0अ0स0 1041/19 धारा 414/482 भादवि थाना बिसरख सै0 नोएडा गौतमबुद्धनगर
- 7.मु0अ0स0 1259/19 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना बिसरख सै0 नोएडा गौतमबुद्धनगर

बरामदगी का विवरण-

1. एक गाडी टाटा हैरियर(सम्बन्धित मु0अ0सं0 497/22 धारा 392/34/411 भादवि थाना सैक्टर 20 नोएडा)
2. 02 अवैध देशी तंमचा.0315 बोर व 04 अवैध जिन्दा कारतूस .315 बोर



#पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर के अन्तर्गत सडक दुर्घटनाओ तथा इनमे होने वाली मृत्यु को रोकने के लिए एक अभियान चलाकर लोगो को जागरूक करने के लिए माह नवम्बर को यातायात माह के रूप में मनाया जा रहा है। यातायात पुलिस गौतमबुद्धनगर द्वारा दिनांक 28.11.2022 को जागरूकता/प्रवर्तन में की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नवत् है -

जागरूकता कार्यक्रम -

यातायात पुलिस की रोड सेफ्टी सैल द्वारा शेयर एन0जी0ओ0 तथा दैनिक जागरण के सहयोग से लेबर चौक सैक्टर 58 पर नुक्कड नाटक के माध्यम से ऑटो/ई-रिक्शा तथा आमजन को यातायात नियमो की जानकारी दी गयी तथा उनका पालन करने हेतु प्रेरित किया गया।

यातायात पुलिस की रोड सेफ्टी सैल द्वारा रजत बिहार सोसाइटी मे आर0डब्लू0ए0 एवं दैनिक जागरण के सहयोग से नुक्कड नाटक के माध्यम से सीनियर सिटिजन व आमजन को यातायात नियमो की जानकारी दी गयी तथा उनका पालन करने हेतु जागरूक किया गया।

यातायात पुलिस की रोड सेफ्टी सैल द्वारा शेयर एन0जी0ओ0 तथा दैनिक जागरण के सहयोग से सैक्टर 12.22.56 तिराहे पर नुक्कड नाटक के माध्यम से बिना हेलमेट/बिना सीट बैल्ट के वाहन चलाने वाले वाहन चालको तथा आमजन को यातायात नियमो की जानकारी दी गयी तथा उनका पालन करने हेतु प्रेरित किया गया।

यातायात पुलिस की रोड सेफ्टी सैल द्वारा कस्बा सूरजपुर एवं तिलपता गोलचक्कर पर एलईडी वैन पर सॉर्ट वीडियो दिखाकर आमजन को यातायात नियमो के प्रति जागरूक किया गया।

प्रवर्तन की कार्यवाही का विवरण -

बिना हेलमेट - 285, बिना सीट बैल्ट - 55, विपरीत दिशा - 60, तीन सवारी - 30, मोबाइल फोन का प्रयोग - 09, बिना डीएल - 25

दोषपूर्ण नम्बर प्लेट - 20, ध्वनि प्रदूषण - 14, वायु प्रदूषण - 13, रेड लाइट का उल्लंघन - 50, नो पार्किंग - 100, अन्य - 11

कुल ई-चालान - 672

उपरोक्त के अतिरिक्त यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर कुल 10 वाहनों को सीज किया गया।

